कार्यालय -- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष) मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन "ग" विगं, भू--तल,भोपाल

क्रमॉक/संरक्षण/कक्ष-- 2 / 325 /भोपाल:दिनांक 24-1-05

प्रति,

समस्त वन संरक्षक
(क्षेत्रीय एंव वन्य प्राणी)
मध्यप्रदेश ।

विषय :-- मध्यप्रदेश चराई नियम, 1986 के अन्तर्गत वन क्षेत्रों की धारण क्षमता (Caring capacity) का निर्धारण ।

संदर्भ :-- इस कार्यालय का पत्र क्रमॉक 1 -- संरक्षण/1702 दिनांक 20--11--2002

मध्यप्रदेश चराई नियम, 1986 के नियम 3 (3) एवं 3 (4) के अन्तर्गत प्रत्येक चराई इकाई में चराई भार के निर्धारण के लिये उसकी धारण क्षमता का आंकलन करने का प्रावधान किया गया है तथा जब तक धारण क्षमता का निर्धारण होने तक वन क्षेत्रों में चराई भार की सीमा अंतरिम तौर पर निर्धारित की गई है । यह सीमा आरक्षित वन खण्ड में एक पशु इकाई प्रति हैक्टर एवं संरक्षित वन खण्ड में 2 पशु इकाई प्रति हैक्टर की निर्धारित की गई है। इस कार्यालय के संदर्भाकित पत्र व्दारा आप लोगों को निर्देशित किया गया था कि शीध्रतिशीध्र सभी वनमण्डलों में चराई धारण क्षमता का निर्धारण करें । किन्तु अभी तक किसी भी वन वृत्त से इस संबंध में कोई कदम उठाने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री धीरेन्द्र भार्गव , तत्कालीन वन मण्डलाधिकारी श्योपुर व्दारा श्योपुर वनमण्डल में वैज्ञानिक विधि से धारण क्षमता के आंकलन का प्रयास किया गया है । इस अध्ययन में उनके व्दारा वनमण्डल के बंद क्षेत्रों में systematic sampling से घॉस की उत्पादकता का आंकलन किया गया एवं साहित्य का गहन अध्ययन कर प्रति हैक्टर धारण क्षमता आंकलित की गई है । हालॉकि प्रदेश के वृहद आकार एवं क्षेत्रीय विविधता के कारण यह निष्कर्ष पूरे प्रदेश के लिये 100 प्रतिशत सही तो नहीं होगें किन्तु इस अध्ययन के निष्कर्ष काफी हद तक पूरे मध्यप्रदेश पर लागू किये जा सकते हैं । प्रदेश के उत्तरी एवं उत्तर--पश्चिमी जिलों के लिये यह अध्ययन पूरी तरह लागू होगा जबकि अन्य क्षेत्रों में वनों की धारण क्षमता इससे कुछ कम ही होगी क्योंकि उत्तरी जिलों के खुले वनों में घॉस का उत्पादन अधिक होता है एवं झाड़ियों (जैसे करधई) के पत्ते भी काफी हद तक चरने योग्य (Palatable) होते हैं । इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार है :--

1--**वन क्षेत्रों की उत्पादकता** :-- घॉस 690 कि.ग्रा.प्रति हैक्टर प्रति वर्ष (सूखने पर)।

विशेष टीप--समस्त उत्पाद चराई योग्य माना गया है।

2--Leaf Litter **का उत्पादन** :-- 3.44 टन प्रति हैक्टर प्रति वर्ष ।

विशेष टीप -- इसमें से केवल 20 %(688 कि.ग्रा.) को ही चराई योग्य माना गया है । (साहित्य पर आधारित निष्कर्ष)

3--**अनुमानित चारा उत्पादन प्रति हैक्टर** :-- 690+688=1378 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर प्रति वर्ष।

4--**पशुओं को प्रति दिन चारे की आवश्यकता** :--शरीर के प्रति 100 कि.ग्रा. बज़न के लिये 2.5 कि.ग्रा. सूखा चारा प्रति दिन । (साहित्य पर आधारित निष्कर्ष)

5--**एक पशु इकाई (चराई नियमों की परिभाषा के अनुसार) को वार्षिक चारे की अनुमानित आवश्यकता**:-- लगभग 3150 कि0ग्रा0 ।

6--**एक पशु इकाई के लिये आवश्यक रकबा**:--2.3 हैक्टर (या 2.5 हैक्टर) प्रति वर्ष ।

उपरोक्त आंकड़ों से यह भली--भॉति स्पष्ट है कि चराई नियम कमॉक 3(3) के अन्तर्गत चराई भार की जो सीमाऐं दी गई हैं वह वन क्षेत्रों की वास्तविक धारण क्षमता से कहीं अधिक हैं जिसकी वजह से वन क्षेंत्रों के पुर्नरुत्पादन में भारी कठिनाई आ रही है । अतः आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त निष्कर्षो के आधार पर प्रत्येक वनमण्डल के वन क्षेत्रों की धारण क्षमता का आंकलन करें । आंकलन करते समय पशु इकाई की परिभाषा वही मानी जाय जो चराई नियमों में दी गई है । जो क्षेत्र चराई के लिये प्रतिबंधित किये गये हैं (कार्य आयोजना के प्रावधान के अनुसार बंद क्षेत्र, वृक्षारोपण क्षेत्र, दुर्गम एवं अपहुॅच क्षेत्र, वन्य प्राणी संरक्षण की दृष्टि से बन्द क्षेत्र आदि) उनको धारण क्षमता के आंकलन से बाहर रखा जाय । **कृपया यह सुनिश्चित करें कि धारण क्षमता का यह आंकलन आप स्वतः अपनी देख--रेख में करवायें ताकि इसमें कोई गलतियॉ रहने की संभावना नही रहे ।** वनमण्डलवार धारण क्षमता की जानकारी संलग्न प्रपत्र में इस कार्यालय को दिनांक 31--3--2005 के पूर्व हर हालत में उपलब्ध करवायें । यदि आप श्री धीरेन्द्र भार्गव व्दारा किये गये अध्ययन को अपने क्षेत्र में दोहराना चाहें तो आप कर सकते हैं , इस संबंध में उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर परामर्श करें । उनके अध्ययन की संक्षेपिका आपके अवलोकनार्थ संलग्न है ।

संलग्न उपरोक्तानुसार ।

Pabla 24/1/05

(डॉ0 एच एस पाबला)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

मध्यप्रदेश

SPA1

प्रपत्र

वन क्षेत्रों में चराई क्षमता का निर्धारण :

वन मण्डल	कुल अधिसूचित वन क्षेत्र	वन क्षेत्र					चराई के लिये शुध्द उपलब्ध क्षेत्र(है.)	अनुमानित धारण क्षमता (शुध्द क्षेत्र ÷2.5) (पशु इकाई)
		बन्द कूप (है.)	वृक्षारोपण (हैक्टर)	दुर्गम क्षेत्र (है0)	व.प्रा. संरक्षण की दृष्टि से बन्द क्षेत्र(है.)	योग (है0)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9